# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1652/2023

मेघराज

**–अपीलार्थी**

**बनाम**

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

**–प्रत्यर्थीगण**

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.11.2022
**आदेश की दिनांक** : 05.07.2023

**उपस्थित –**

अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस. राघव, अभिभाषक

**समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य(न्यायिक)**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में निलम्बन आदेश 12.11.2022 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी है। उक्त आदेश में यह अंकित है कि अपीलार्थी मेघराज के विरूद्ध एक विभागीय जांच मामला प्रस्तावित है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि एफआईआर संख्या 392/2022 पुलिस थाना, बोरखेड़ा कोटा में दर्ज हुई थी। उक्त एफआईआर में अपीलार्थी के विरूद्ध चार्जशीट प्रस्तुत की गई है, परंतु विभागीय स्तर पर कोई जांच अभी तक प्रारंभ नहीं की गई है। फौजदारी न्यायालय में प्रकरण के निस्तारण में समय लगेगा। ऐसे में अपीलार्थी को लम्बे समय तक निलम्बित रखा जाना उचित नहीं है।
2. अपीलार्थी के उपरोक्त तर्क पर विचार किया गया। बहस के दौरान हमारे समक्ष कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 22.03.2023 प्रस्तुत किया गया है, जो आपराधिक प्रकरणों में निलम्बन से बहाली के संबंध में है। उपरोक्त परिपत्र में दिशा–निर्देश क्रमांक ए–1 अपीलार्थी के प्रकरण पर लागू होते है, जो निम्न प्रकार से हैं :–

   ''ए–1. किसी लोकसेवक को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया जाता है अथवा भ्रष्टाचार से संबंधित अन्य मामले में 48 घण्टों से अधिक समय तक पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाता है तो संबंधित लोकसेवक को तत्काल निलम्बित किया जायें।

लोकसेवकों के ऐसे प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी होने तथा सक्षम न्यायालय में चालान पेश होने की स्थिति में उनके प्रकरण निलम्बन से बहाली हेतु गठित पुनर्विलोकन समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाएंगे।

2. भ्रष्टाचार से संबंधित अन्य प्रकरणों (रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तारी से भिन्न) में, आय से अधिक सम्पत्ति अथवा धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रकरणों में यदि संबंधित लोक सेवक को पूर्व में निलम्बित नहीं किया गया है तो प्रकरण में लोकसेवक के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी होने पर प्रकरण के तथ्यों, आरोपों की प्रकृति एवं गंभीरता, राज्य सरकार की लोकसेवक के अनुरूप आचरण की अपेक्षा, पद की गरिमा, अभियोजन/अनुसंधान एवं साक्ष्यों को प्रभावित करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर लोकसेवक के निलम्बन के संबंध में समुचित निर्णय लिया जावे।

यदि प्रकरण में लोकसेवक को निलम्बित किया गया है तो लोकसेवक के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान पेश होने की स्थिति में लोकसेवक के प्रकरण को निलम्बन से बहाली हेतु पुनर्विलोकन समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावे।

यदि प्रकरण में लोकसेवक को निलम्बित किया गया है तो लोकसेवक के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान पेश होने की स्थिति में लोकसेवक के प्रकरण को निलम्बन से बहाली हेतु पुनर्विलोकन समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावे।''

3. उपरोक्त परिपत्र में कार्मिक विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसे प्रकरण जिसमें लोकसेवक को निलम्बित किया गया है, तो लोकसेवक के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चालान पेश होने की स्थिति में लोकसेवक के प्रकरण को निलम्बन से बहाली हेतु पुनर्विलोकन समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावेगा। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध चालान फौजदारी न्यायालय में प्रस्तुत हो चुका है। उपरोक्त परिपत्र को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकरण में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना यह आदेश दिये जाते हैं कि उक्त परिपत्र दिनांक 22.03.2023 की पालना में पुनरावलोकन समिति के समक्ष अपीलार्थी के निलम्बन से बहाली के

संबंध में प्रकरण को विचारार्थ रखा जाये एवं पुनरावलोकन समिति नियमानुसार उक्त परिपत्र दिनांक 22.03.2023 की रोशनी में अपीलार्थी के मामले पर गुणावगुण पर विचार कर निर्णय पारित करेगी।

4. उक्त कार्यवाही के लिए 2 महिने का समय प्रदान किया जाता है। उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भण्डारी)**
**सदस्य(न्यायिक)**